



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 9c241ae0fb0630d3d5

Receipt Date : 04-Jan-2022 01:36:02 pm

Receipt Amount : 33210/-

Amount In Words : Thirty Three Thousands Two Hundred And Ten Rupees Only

Token Number : 20210000133317

Office Name : SRO - Dhanbad

Document Type : Sale Deed

Payee Name : EJAZ ALAM (Vendee)

GRN Number : 2209171303



रसीद नम्बर 21 के अन्तर्गत ऑन लाइन भुगतान :- For Office Use :-

प्रमाणित किया गया है कि प्राप्ति 4/1 के अर्थ में

21 प्राप्ति के अर्थ में प्राप्ति स्टांप एक्ट 1899

के अन्तर्गत किया गया है कि प्राप्ति 33 के अर्थ में

प्राप्ति के अर्थ में प्राप्ति स्टांप एक्ट 1899 के अर्थ में

प्राप्ति के अर्थ में प्राप्ति स्टांप एक्ट 1899 के अर्थ में

प्राप्ति के अर्थ में प्राप्ति स्टांप एक्ट 1899 के अर्थ में

प्राप्ति के अर्थ में प्राप्ति स्टांप एक्ट 1899 के अर्थ में

प्राप्ति के अर्थ में प्राप्ति स्टांप एक्ट 1899 के अर्थ में

[Signature]
निबन्धन पदस्थापक
D.S. 01.22

तारीख अनसारी
05/11/22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Registered Sale of 22210/8300000 Dhambad

तफशील बर्णीत जमीन का मुल्य मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं है।
05/01

FEE PAID OF RS. 25864 VIDE
GRN. 2209156492
DATE 05.01.22



तनवीर आंसारी
05/01/22



Fee paid
Rs 24900/-
201 3-
Rpe 1-
24904/-
05.01.22

:- विक्रय पत्र केवाला दस्तावेज:-

बिक्रेता :- तनवीर अंसारी पिता स्व0 मोइन अंसारी श्रेणी-
पिछड़ा वर्ग पेशा-व्यवसाय सा0-न्यू इस्लामपुर पाण्डरपाला
पो0-"बी" पॉलिटेक्निक थाना-बैंकमोड़ जिला-धनबाद ।
१ झारखण्ड १ भारतीय आधार नं0- 3070 1021 8906.

क्रेता :- एजाज आलम पिता स्व0 महताब आलम श्रेणी-सामान्य-
वर्ग पेशा-नौकरी सा0-क्वार्टर नं0-2/4 सी.एम.पी.एफ. कॉलोनी
थाना-सरायदेला जिला-धनबाद । १ झारखण्ड १ भारतीय ।
आधार नं0-5786 7894 5288.

विक्रय पत्र केवाला दस्तावेज

मूल्य :- 8,30,000/- आठ लाखतीस हजार रुपये मात्र,
सालाना मालगुजारी-50 पता, मालिक जमींदार झारखण्ड
सरकार, अंचल कार्यालय धनबाद ।

05-01-2022 -50.00 - 1.00
 जिला अदालत धनबाद में मुख्य कार्यकारी दफ्तर या अवर/निवृत्त
 द्वारा प्रमाणित मुद्रानामा _____ अंकित 200 _____
 मुख्य कार्यकारी या दफ्तर में से ए.पी. नजीर अंसारी
 पता/पुति का नाम रवि मुहंन अंसारी
 ग्राम वाडरुवाका थाना बकमांड जिला धनबाद -
 आवृत्ति _____ पराम न निवृत्त के लिए परा केंद्रों।

प्रमाणित मुद्रानामा का हस्ताक्षर
 05-01-2022

अवर/निवृत्त का हस्ताक्षर

नजीर अंसारी
 05/01/22



संख्या अशिकारी... धनबाद... से प्राप्त सूची
के अन्तर्गत... मालिक...
... 04... से 14...
... 17... से 18...
... 19... से 20...
... 21... से 22...
... 23... से 24...
... 25... से 26...
... 27... से 28...
... 29... से 30...
... 31... से 32...
... 33... से 34...
... 35... से 36...
... 37... से 38...
... 39... से 40...
... 41... से 42...
... 43... से 44...
... 45... से 46...
... 47... से 48...
... 49... से 50...
... 51... से 52...
... 53... से 54...
... 55... से 56...
... 57... से 58...
... 59... से 60...
... 61... से 62...
... 63... से 64...
... 65... से 66...
... 67... से 68...
... 69... से 70...
... 71... से 72...
... 73... से 74...
... 75... से 76...
... 77... से 78...
... 79... से 80...
... 81... से 82...
... 83... से 84...
... 85... से 86...
... 87... से 88...
... 89... से 90...
... 91... से 92...
... 93... से 94...
... 95... से 96...
... 97... से 98...
... 99... से 100...

नगर अशिकारी
05/01/22

:- 2 -:

विवरण जमीन :- जिला सदर निबंधन कार्यालय धनबाद, अंचल एवं थाना-धनबाद हाल थाना-
बंकमोड़ अन्तर्गत "पाण्डुरपाला" मौजे में विक्रेता के रैयती स्वत्व की खास दर्जली खरीदी गई
जमीन, मौजा नं०-04, नया खाता नं०-212, दो सौ बारह पुराना खाता नं०-57, नया प्लोट
नं०-1008, एक हजार आठ पुराना प्लोट नं०-1281 रकबा-03 कटठा, तीन कटठा, 02 छटाक
दो छटाक यानि-5.15 डिस्तमील, पाँच दशमलव एक पाँच डिस्तमील जमीन विक्री किया जो अन्य-
तइक पर "आवासीय" जमीन है, एवं संलग्न नक्शा में "लाल" रंग से दर्शाया गया है। जितका धनबाद
नगर निगम वार्ड नं०-17, एवं होल्डिंग नं०-0170002368000 एम 0 है।

जितका चौहददी

उत्तर :- मेहरून निशा,

दक्षिण :- 04+06+04= 14 फीट चौड़ा रास्ता,

पूरब :- 03+07+03= 13 फीट चौड़ा रास्ता,

पश्चिम :- मो० इमरान ।

उक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक-24-03-1973 ईस्वी के 6199 नं०
केवाला दस्तावेज से प्राप्त है। जो विक्रेता के दादा स्व० खुर्शीद आलम अंसारी के नाम से खरीदा-
हुआ सम्पत्ति है। जितका अंचल कार्यालय धनबाद के ऑन-लार्डन लगान जमाबन्दी रिसिप्ट संख्या-
0754694927 में मालगुजारी रसीद कटता है।

एवं उक्त जमीन ऑन-लार्डन पंजी-11 में भाग वर्तमान-02 के पृष्ठ संख्या-421 में विक्रेता के
दादा स्व० मो० खुर्शीद आलम अंसारी के नाम से दर्ज है।

"दस्तावेज में अंकित भूमि सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यथा सरकारी गैर मजहूआ सरकार
द्वारा बन्दोबस्त अहस्तांतरणीय भूदान से प्राप्त बनभूमि आदिवासी एवं केशर-ए-हिन्द खाता के
अन्तर्गत अथवा अधिग्रहित भूमि की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही दस्तावेज में वर्णित विक्रय-
भूमि की कथा से विक्रेता एवं क्रेता दोनों संतुष्ट एवं सहमत है। विक्रेता सी. एन. टी. एक्ट 1908
की धारा 46 & 6 में वर्णित जाति/जन जाति वर्ग से संबंधित नहीं है। एवं पिछड़ा वर्ग के 51 जाति
से बाहर है।"

.. 3 ..



05-01-22

पत्रकार असादी
05/01/22

:- 3 -:

चूँकि बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज का विवरण यह है कि बिक्रेता के सांसारिक खर्च के लिए रूपये की अति-आवश्यकता आ जाने से उक्त जमीन का सम्योचित सर्वोच्च मूल्य- 8,30,000/- रूपये क्रेता से प्राप्त कर क्रेता को बिक्री कर सदा के लिए निः स्वत्व हुए, एवं क्रेता को दर्खल-कार किया तथा दखल दिया ।

उपरोक्त जमीन पर बिक्रेता का जिस प्रकार का हक-अख्तियार दावी-दावा आदि था, आज तारिख से क्रेता का हुआ, क्रेता उक्त जमीन पर मकान, आंगन, कुँआ, बगान-बगिचा-आदि तैयार कर नीज बसवास या किराया बन्दोबस्त कर अपना ईच्छानुसार दान-बिक्री आदि सर्वप्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर बंश परम्परा से पुत्र-पौत्रादि एवं वारिश्मान के साथ सदा के लिए भोग दखल करते रहे । इसमें बिक्रेता या उनके वारिश्मान किसी प्रकार का वजुर या स्तराज नहीं कर सकता है । और करने पर भी वह कानून के मुताबिक नामंजूर होगा ।

उपरोक्त जमीन का सालाना मालगुजारी मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर बिक्रेता के नाम कटवा कर क्रेता अपने नाम से दाखिल-खारिज करवा कर सालाना मालगुजारी का रशीद हासिल करेंगे ।

उपरोक्त जमीन बिक्रेता के खास दर्खल में है । कभी किसी प्रकार का हस्तान्तरण आदि नहीं किया हुआ है । भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तरण आदि पाया जाय और उससे क्रेता या उसके बंशज को क्षति पहुँचे तो बिक्रेता या बिक्रेता के वारिश्मान क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे ।

अतः बिक्रेता अपनी स्थिर बुद्धि और सरल मन से बियार कर मूल्य का समस्तरूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह बिक्रय पत्र सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें ।

इति दिनांक- 05-01-22

... 4 ...

नववीर अंसारी
05/01/22

: - 4 - :

क्रेता का छायाचित्र:-



Ejor Alam, 2
05/01/22



प्रमाणित किया जाता है कि बिक्रेता एवं क्रेता जिनका छायाचित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा/ मेरे सामने लिए गए है । एवं बिक्रेता तथा क्रेता के कथनानुसार एवं उनलोगों के द्वारा उपलब्ध कागजातों के आधार पर दस्तावेज का प्रारूप बनाया और दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया तथा समझा दिया ।

X. S. Ravi
Advocate
E. NO:-61/90.


: - गवाहगण - :

1. Mr. Parwez Achter
Shambh Nagar P.O. B. Polytechnic
Shambad -

2. Mr. S. S. Ansi
Solo Mr. Wazir Ansi
M3ad. Nagar.
Bhadi
Dhandad.

बिहूला - तनवीर अंसारी पिता स्व० मोईन अंसारी
 निवासी न्यू इस्लामपुर पाण्डर पाला पो० वी. फौली इस्लामपुर
 थाना - बैंक मोड जिला चनखाद (भारखंड)
 केता - एजाज आलम पिता स्व० महताब आलम
 निवासी ड. No. 214 सी. एम. पी. एफ. कालोनी थाना -
 सराय देला जिला चनखाद (भारखंड)
 तफसील जायदाद - मौजा पाण्डर पाला न० 04
 नयाखिवाता न० 212 पुराना खोता न० 57 नया
 सर्वेप्लान न० - 1008 पुराना प्लान न० 1281 रकबा 03
 कट्टा 02 घटाक (लेन कट्टा दो घटाक) परिमाण
 5.15 डीलमील जमीन

चौहद्दी - उत्तर - मेहरान निशा
 दखिन - 4+6+4 = 14 फीट चौंरास्ता
 पुरब - 3+7+3 = 13 फीट चौंरास्ता
 पाबिस - मोठ इमरोत




कुल 14 = 330 फीट

Ejaz Alam

05/01/22

तनवीर अंसारी
 05/01/22



4+6+4 = 14 फीट चौंरास्ता

NOT TO SCALE

